कार्यालय सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण,
पंचायत समिति आमेर, जयपुर

ACL 11/1/17

क्रमांक :–एफ 2(115) MJSA-II Tender/2016–17/ 482-488 दिनांकः– 9-1-2017

अल्पकालिन ई–निविदा सूचना 02/2016–17

राजस्थान राज्यपाल महोदय की ओर से पंचायत समिति आमेर में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नॉन आईडब्ल्यूएमपी गोविन्दगढ) के तहत **मिनी परकोलेशन टेंक, तालाब जिर्णोद्वार, तलाई, फिल्ड बण्ड एवं फार्म पॉण्ड/खेत तलाई निर्माण कार्यों** हेतु मय डिफेक्ट लाईबलिटी अवधि के जो निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिए उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार में पंजीकृत संवेदकों से ई–टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती हैं। समस्त निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने एवं अपलोड करने की दिनांक 12.01.2017 अपराह्न 2:00 बजे से 02.02.2017 सायं 6:00 बजे तक, डी.डी. व अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की दिनांक 03.02.2017 अपराह्न 1:00 बजे तक और ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक 03.02.2017 अपराह्न 3:00 बजे तक होगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रूपयें में)	निविदा फॉर्म का मूल्य (रू.में)
1	मिनी परकोलेशन टेंक, तालाब जिर्णोद्वार, तलाई, फिल्ड बण्ड एवं फार्म पॉण्ड/खेत तलाई निर्माण कार्यों	60.55	121100	1000

निविदा से सम्बन्धित विरतृत विवरण **www.watershed.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www.sppp.raj.nic.in** पर देखी जा सकती है।

सहायक अभियंता
जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण
पंचायत समिति आमेर, जयपुर

क्रमांक :–एफ 2(115) MJSA-II Tender/2016–17/ 482-488 दिनांकः–9-1-2017

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय ज.ग्र.वि.एवं भू–संरक्षण, पंत कृषि भवन को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित हैं।
2. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का नियमानुसार न्यूनतम साइज में एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आपका प्रतिनिधि नियुक्त करावे।
4. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, पंचायत समिति बस्सी, जयपुर।
5. कनिष्ठ अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सहायक अभियंता
जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण
पंचायत समिति आमेर, जयपुर

कार्यालय सहायक अभियंता एवं पीआईए, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति आमेर, जयपुर

लिफाफा सं0 :– 1

तकनीकी बिड

1. निविदा सूचना संख्याः– अल्पकालिन ई–निविदा सूचना– 02 / 2016–17
2. कार्य का नामः– **मिनी परकोलेशन टेंक, तालाब जिर्णोद्वार, तलाई, फिल्ड बण्ड एवं फार्म पॉण्ड / खेत तलाई निर्माण कार्य** ग्राम आष्टी कलां, आष्टी खुर्द, बागडों का बास, गीदा का बास, किशनपुरा, हाबू का बास, नांगल गोविन्द, रणजीतपुरा, सिरसा एवं बगडी पंचायत समिति गोविन्दगढ।
3. कार्य की अनुमानित लागतः– रू 6055000 / –
4. धरोहर राशिः–रू 121100 / –
5. संवेदक / फर्म का नामः–
6. निविदा डाउनलोड व जमा / अपलोड करने की तिथि :– दिनांक 12.01.2017 अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 02.02.2017 सायं 6:00 बजे तक
7. निविदा को खोलने की तिथि व समयः– दिनांक 03.02.2017 अपरान्ह 3:00 बजे
8. निविदादाता द्वारा संलग्न
   1. धरोहर राशि डी.डी. / बैकर्स चेक नं.......................................राशि....................दिनांक..........................
      बैक का नाम...
   2. निविदा शुल्क डी.डी. / बैकर्स चेक नं....................................राशि....................दिनांक..........................
      बैक का नाम...
   3. प्रोसेसिंग फीस डी.डी. / बैकर्स चेक नं..................................राशि....................दिनांक..........................
      बैक का नाम...
   4. राजकीय विभाग में सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
   5. पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी
   6. टेक्स किलिरियन्स सर्टिफिकेट अद्यतन की प्रमाणित प्रति
   7. निविदा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।
   8. संवेदक द्वारा एस. आर. प्रारूप 11 – निविदादाता द्वारा घोषणा हस्ताक्षरित संलग्न

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

(...)

पता मय सील.......................................

...

मोबाईल न0...

कार्यालय सहायक अभियंता जलग्रहण विकास एंव भू–संरक्षण
पंचायत समिति आमेर, जयपुर

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 01 / 2016–17

निविदा शर्ते

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी जो कि **परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी, आई.डब्ल्यू.एम.पी 42** के नाम देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रो हेतु आवेदन / डाउनलोड करके भरने की अवधि दिनाक 12.01.2017 को अपराह्ल 2:00 बजे से 02.02.2017 को सायं 6:00 बजे तक होगी।
3. धरोहर राशि निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. / बैंकर्स चैक सहायक अभियन्ता एवं पीआईए, जलग्रहण विकास एंव भ–संरक्षण पंचायत समिति आमेर के कार्यालय में दिनाक 03.02.2017 को अपरान्ह 1:00 बजे तक जमा कराने होगे।
4. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनाक 02.02.2017 को सायं 6:00 बजे तक जमा कराये जा सकते है। एवं प्राप्त तकनीकी / वित्तीय निविदाऐं इलैक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर कार्यालय अधिक्षण अभियन्ता पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटर शेड सैल कम डाटा सेन्टर, डी–157, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर में दिनांक 03.02.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेगी।
   (ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
   (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सभी निविदाऐं नही खोली जा सकती है। तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष निविदाऐं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
5. कार्य क्षेत्र पंचायत समिति गोविन्दगढ के ग्राम आष्टी कलां, आष्टी खुर्द, बागडों का बास, गीदा का बास, किशनपुरा, हाबू का बास, नांगल गोविन्द, रणजीतपुरा, सिरसा एवं बगडी का स्वीकृत क्षेत्र होगा।
6. अधिकृत निविदा प्रपत्र का निरीक्षण इस कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनाक 12.01.2017 से 02.02.2017 को अपराह्ल 6.00 बजे तक कार्य दिवसों में किया जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदा कर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण नियम शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बधि व उनके पति / पत्नि) कार्य से सम्बधित वृत्त अथवा अधिनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण बस्सी से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर तथा इस कार्यालय में पद स्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीरियर अथवा इंजीनियरिग या प्राशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप कार्य नही कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में काई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहा सेवाए लेने से पहले अनुमति नही ली है। तो अनुबधं रद्द किया जा सकेगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बतायें निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

10. निविदा शुल्क 1000 रूपयें एवं धरोहर राशि 2 प्रतिशत का डी0डी0/बैकर्स चैक **परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी, आई.डब्ल्यू.एम.पी. 42** के नाम देय होगा।

11. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाताओं को प्रोसेसिंग फीस रू0 1000/– का डिमाड ड्राफ्ट (डी0डी0)/बैंकर्स चैक (बी.सी.) Managing Director RISL Jaipur के पक्ष में निविदा शुल्क के साथ जमा कराना होगा।

12. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेंगी उसको **नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध** करना होगा, जिसका व्यय सम्बधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा एवं अनुमानित लागत की राशि 8 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में जमा करानी होगी।

13. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तो की पालना नही करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एव प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेंगी।

14. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नही सोपेगा या उप–भाडे (सब लेट पर नही देगा)

15. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा।

16. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जावेंगा।
    (अ) जब निविदा/सविंदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
    (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हों।
    (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बध में केता अधिकारी का निर्णय अतिम होगा।

17. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

18. कार्यो के कियान्वयन हेतु लेआउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिये संवेदक को दक्ष अभियन्ता रखना होगा।

19. कार्यो का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

20. संवेदक को कार्य स्थल पर कार्य की समस्त सूचनाओं का डिस्पले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्य शुरू होने से पूर्व की, प्रगतिरत कार्य की एवं कार्य पूर्ण उपरान्त की फोटोग्राफ तीन प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सवेंदक की जिम्मेदारी होगी।

21. सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु जारी किये गये कार्य आदेश में उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि में कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा नही किया जाता हैं तो निम्नानुसार पैनल्टी देय होगी।
    (1) (क) विहित कार्य पूर्णता अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2 %
        (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 %
        (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7½ %
        (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %
    (2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
    (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
    (4) यदि प्रदायकर्त्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्वि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
    (5) यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से पूरे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

22. कराये गये सभी कार्यो के कार्य पूर्णता के पश्चात दो वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, जिसके लिये भुगतान राशि में से 10 प्रतिशत धरोहर राशि काटी जावेगी।
23. कार्यो के सूचारू क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
24. संवेदक द्वारा बी.एस.आर. दर/अनुमानित दर से 10 प्रतिशत से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है तो उनमें सफल बोलीदाता से अन्तर राशि की (10 प्रतिशत कम दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जायेगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने के पश्चात लौटोई जायेगी।
25. आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
27. संवेदक को श्रम रेगुलेशन एवं एबोलिशन एक्ट 1970 एवं 1971 की पालना करनी होगी।
28. निविदा प्रपत्र में दी गई दरों में रोयल्टी एवं अन्य समस्त कर शामिल है।
29. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
30. ई–टेंडरिग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश–
   (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
   (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें लेने की आवश्यकता नही है।
   (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नही होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।
   (द) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सूनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ सलग्न कर दी गयी है।
   (य) कोई भी टेन्डर निर्धारित समय अनुसार ऑनलाईन जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।
   (र) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप भर कर ऑनलाईन दर्ज करें।
31. मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान अर्न्तगत निर्बन्ध राशि मद से किये जाने वाले कार्यो का 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान ग्रामस्तरिय समिति की अनुशंसा के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
32. काश्तकार की निजी भूमि पर किये जाने वाले कार्यो पर निर्धारित कृषक अंशदान की राशि कृषक से प्राप्त होने पर ही कार्य करवाया जायेगा। बिना कृषक अंशदान प्राप्त किये कृषकों की निजी भूमि पर कराये गए कार्यो का भुगतान नियमानुसार कृषक अंशदान की राशि काटकर ही संवेदक को किया जावेगा।
33. संवेदको को अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व परियोजना क्षेत्र/कार्यस्थल का निरिक्षण करने की जिम्मेदारी संवेदक की स्वंय की होगी

    मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तो को मानने हेतु सहमत हूँ।
34. मृदा कार्यो मे किये जाने वाले प्रोक्टर घनत्व जांच के लिये आवश्यक उपकरण कार्य स्थल पर संवेदक को रखना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर संवेदक मय सील
मोबाईल न0

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

[देखिए नियम 48 (vii)]

मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावें तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय सहायक अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण
पंचायत समिति आमेर, जयपुर

लिफाफा सं0 :– 2

वित्तिय बिड

1. निविदा सूचना संख्याः– अल्पकालिन ई–निविदा सूचना 02/2016–17
9. कार्य का नामः– **मिनी परकोलेशन टेंक, तालाब जिर्णोद्वार, तलाई, फिल्ड बण्ड एवं फार्म पॉण्ड/खेत तलाई निर्माण कार्य** ग्राम आष्टी कलां, आष्टी खुर्द, बागडों का बास, गीदा का बास, किशनपुरा, हाबू का बास, नांगल गोविन्द, रणजीतपुरा, सिरसा एवं बगडी पंचायत समिति गोविन्दगढ।
2. कार्य की अनुमानित लागतः– रू 6055000/–
3. निविदा शुल्क :– रू0 1000/–
4. धरोहर राशिः–रू 121100/–
5. प्रोसेसिंग फीस :– रू0 1000/–
6. कार्य अवधि :– 4 माह (नियमानुसार अवधि बढाई जा सकती है)
7. निविदा डाउनलोड व जमा/अपलोड करने की तिथि :– दिनांक 12.01.2017 अपरान्ह 2:00 बजे से दिनांक 02.02.2017 सायं 6:00 बजे तक
8. निविदा को खोलने की तिथि व समयः– दिनांक 03.02.2017 अपरान्ह 3:00 बजे
9. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने वाले संवेदक/फर्म का नाम :– ....

....

सहायक अभियंता
जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण
पंचायत समिति आमेर, जयपुर